

25/5/26

पत्रावली कावे सिंगि पेरा उओ उभय प  
अन दावा पारी स्वीकार डिहा पावा हो पिहव-  
सिगि शासि. डिहा गभ्य डिजी पारी हो तंछ-  
ले कद हो

आदेश दुगाहा गभ्य

सपकण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS  
2024/217



(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़


माया देवी बनाम मांगीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा:-88-53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 194/2021 G.C.M.S. 2021/217

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.05.2026	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री पालना में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष सहमत हैं तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं. 6663 दिनांक 12.03.26 से प्रेषित अनुसार वादी को चक 7 एसजीआर बी प0न0 16/306 (31) कि0न0 11,12/0.506 है0 नहरी, 13/0.114 है0 नहरी पास पश्चिम, 15/2/0.013 है0 गै0मु0 रास्ता पास दक्षिण, 16/1/0.228 है0 नहरी, 16/2/0.025 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 20/1.012 है0 नहरी कुल 1.898 है0 नहरी मय रास्ता का खातेदार कृषक, एवं प्रतिवादी नं0 1 को चक 7 एसजीआर बी प0न0 16/306 (31) 13/0.139 है0 नहरी पास पूर्व, 14/0.253 है0 नहरी, 15/1/0.228 है0 नहरी, 15/2/0.013 है0 गै0मु0 रास्ता पास उत्तर, 21 ता 24/1.012 है0 नहरी, 25/1/0.228 है0 नहरी, 25/2/0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल 1.897 है0 नहरी मय रास्ता का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़